रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमानजी निवेदन है कि आवेदक की राजस्व रिकार्ड में जाति चमार दर्ज है आवेदक की जाति बैरवा है तो जाति बैरवा किया जाना उचित है।

खाता नं. 220

हनुमान शरण शर्मा
ह०प०ह० हीरापुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी शुद्ध किया जाना उचित है

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. में खातेदार की जाति बैरवा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है

25.5.15
(अशोक कुमार मित्तल)
नायब तहसीलदार तलावड़ा

आदेश

लोक अदालत कैम्प......हीरापुर

25-5-2015 प्रार्थी सुवन्या पुत्र जैत्या, बैरवा, हीरापुर ने जमाबंदी सं० 2070-73 खाता सं० 220 में दर्ज उसकी जाति चमार के स्थान पर बैरवा दर्ज करने का निवेदन किया है। पटवारी हलका, I.L.R. एवं नायब तहसीलदार तलावडा ने प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा दुरुस्त करने की अनुशंषा ~~निवेदन~~ किया है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गंगापुर को पालना हेतु लिखा जावे।

उप खण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प हीरापुर

प्रपत्र-8

3

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प हीरापुर

—:आदेश:—

प्रार्थी के ***"खाता दुरुस्ती"*** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हीरापुर व भू.अ.नि. तलावड़ .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..../नायब तहसीलदार तलावड़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हीरापुर तहसील गंगापुर व जिला...... .... की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 220 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	हीरापुर	220	सुक्या पुत्र जैल्या कौम-चमार	सुक्या पुत्र जैल्या कौम बैरवा (खाते में अंकित अन्य प्रविष्ठिया यथावत रहेगी)

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापुर सिटी

कमांक :– 76-78 दिनांक :– 25/5/15

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुक्या पुत्र जैल्या निवासी हीरापुर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

मुनिदेव यादव
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
गंगापुर सिटी